

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार- 2015

प्राथमिक डिकी व मुकदमें इत्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

सीता बनाम मादू

दावा बाबत :- 53, 88, 188 आर.टी.ए. 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 1/2014

पेश करने की दिनांक - 1.1.14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री जयप्रकाश नारायण (आर. ए. एस) - व हाजिर श्री सीताराम रावत अभिभाषक मुद्दई श्री नरेन्द्र सिंह राठौड व तहसीलदार नसीराबाद अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :-

ग्राम लोहरवाडा के खाता संख्या 1061/956 किता 3 रकबा 0.56, 1062/1206 किता 2 रकबा 1.13 व 1063/957 किता 11 रकबा 2.02 की आराजी पर वादिया का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह जून सन् 2015 को जारी की गयी।



अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मुदायला

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

150
1.13
1.29

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उनवान

सीता बनाम मादू वगै०

दावा बाबत :- 53, 188, राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 1/2014
पेश करने की दिनांक - 1.1.14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूवरु मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक महेन्द्र सिंह चौहान मुद्दई व. राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 4961/0.16, 4801/0.4150, 4907/0.24, 4800/5948 रकबा 0.03 किता 4 रकबा 0.8450 की आराजी का खातेदार वादी सीता पुत्री सुगना को हाल खसरा नम्बर 4961/1 रकबा 0.16, 4801/1 रकबा 0.3950, 4801/6112 रकबा 0.02, 4907/1 रकबा 0.24, 4800/5948/1 रकबा 0.03 किता 5 रकबा 0.8450 का खातेदार प्रतिवादी मादू पुत्र सुण्डा को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहनं करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11 माह / सन् 2019 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद